Received By Mail

उत्तराखण्ड शासन
आवास अनुभाग–2
संख्या– — / V-2-2018–79(आ0) / 2016
देहरादून : दिनांक 28 मार्च, 2018

कार्यालय ज्ञाप

भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 की धारा–46 के अन्तर्गत Appellate Tribunal गठित किये जाने का प्राविधान है। इस संबंध में कार्यवाही गतिमान है। जब तक अपीलीय अधिकरण विधिवत स्थापित नही हो जाता है, तब तक भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 की धारा–43 की उपधारा (04) के प्रथम परन्तुक के उपबंध के अंतर्गत इस अधिनियम के अधीन उत्तराखण्ड भू–संपदा नियामक प्राधिकरण के निर्णयों के विरूद्ध अपीलों की सुनवाई किये जाने हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण को अभिहित (Designate) करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या 540 / V-2-2018-79(आ0) / 2016 – तद्दिनांक।
प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय नैनीताल।
2. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
6. मण्डलायुक्त, गढ़वाल / कुमांयू।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निबन्धक, उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण, देहरादून।
9. उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
10. उपाध्यक्ष, हरिद्वार रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।
11. समस्त जिलास्तरीय विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
12. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
13. सचिव, दूनघाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून।
14. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(प्रेम सिंह राणा)
अनु सचिव।